



2026:AHC:66976-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 4953 वर्ष 2026

प्रियंका सेंगर याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अंकित राज, रिंकी गुप्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 47

माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति श्री तरुण सक्सेना

1. याचिकाकर्ताओं ने धारा 406, 420, 467, 468, 471, 506 भ०द०वि०, थाना-स्वरूप नगर, जिला- कानपुर नगर के तहत केस अपराध संख्या-0125 वर्ष 2024 को जन्म देने वाली प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।

2. इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के प्रस्ताव के समर्थन में याचिकाकर्ताओं की अधिवक्ता सुश्री रिंकी गुप्ता और राज्य की ओर से पेश होने वाले अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-। श्री घनश्याम कुमार को सुना।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) में आरोप इस आशय के हैं कि पहली सूचनाकर्ता, तान्या दीक्षित को विक्रम सिंह सेंगर से पता चला, जो कभी-कभी अपनी मां, तृप्ति सिंह सेंगर और याचिकाकर्ता अपनी दोस्त प्रियंका सिंह सेंगर के साथ उसके घर आना शुरू कर देता था। वे सरकार, प्रशासन और कानपुर विश्वविद्यालय में अपने संबंधों के बारे में डींग मारते थे और उन्होंने रोजगार हासिल करने सहित अन्य महत्वपूर्ण उपकारों के लिए किया था। इस सब के लिए, सूचनाकर्ता ने कहा कि अगर उसके पास पी.एच.डी. डिग्री या नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) योग्यता है, तो वह किसी विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन करने के बारे में भी सोच सकती है। इसके बाद, विक्रम सिंह सिंगार, उनकी मां तृप्ति सिंह सिंह, उनकी बहन सान्या सिंह सेंगर और विक्रम सिंह सेंगर के दोस्त प्रियंका सिंह सेंगर ने एक साथ कहा कि उन्हें पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त करने के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वे पी.एच.डी. कोर्स में उसका प्रवेश सुनिश्चित करेंगे और उसके लिए नौकरी भी सुरक्षित करेंगे। वह पी.एच.डी. कार्यक्रम के साथ रोजगार ले सकती है। इस उद्देश्य के लिए, उसे इस आश्वासन के साथ 22 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था कि इन सभी व्यक्तियों के कई विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध हैं। वे कहीं न कहीं सूचनाकर्ता के लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। इस तरह, उन्होंने 02.04.2024 को विक्रम सिंह सेंगर के खाते में यू.पी.आई. (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से सूचनाकर्ता को 48,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए धोखा दिया, जिसने कहा कि वह वर्ष 2024 में मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के पी.एच.डी. कार्यक्रम में सूचनाकर्ता को प्रवेश दिलवाएगा। वह पी.एच.डी. की डिग्री हासिल कर सकती थी और एक साथ अपना काम भी कर सकती थी। इन व्यक्तियों ने सूचनाकर्ता से कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए। कुछ समय बाद, विक्रम सिंह सेंगर, उसकी मां तृप्ति सिंह सेंगर, बहन सान्या सिंह सेंगर और उसकी दोस्त प्रियंका सिंह सेंगर ने सूचनाकर्ता को अपने घर बुलाया और बताया कि वे उसे सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की नौकरी दिलाएंगे, जहां पदों का विज्ञापन दिया गया था। इस पर सूचनाकर्ता ने कहा कि उसने कोई आवेदन नहीं किया है। तब उन चारों ने कहा कि वह जल्द से जल्द 18,50,000/- रुपये की राशि की व्यवस्था करें और वह बहुत जल्द खुशखबरी सुनेगी। वह जुलाई के महीने में शामिल हो सकेगी। शेष राशि का भुगतान वह निर्देशित होने पर कर सकती थी। इसके बाद सूचनाकर्ता ने घर में उपलब्ध सभी नकदी एकत्र की और 5,50,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया, जबकि 13,00,000/- रुपये का भुगतान सूचनाकर्ता की मां निशा दीक्षित ने 10.06.2024 को विक्रम सिंह सेंगर को रियल-टाइम ग्राँस सेटलमेंट (R.T.G.S.) के माध्यम से SBI, स्वरूप नगर शाखा में बनाए गए अपने बैंक खाते से किया। इन सभी व्यक्तियों के कहने पर, पहले सूचनाकर्ता ने 22.06.2024 को प्रियंका सिंह सेंगर के खाते में यू.पी.आई. के माध्यम से 20,000/- रुपये की राशि भेजी। पहले सूचनाकर्ता को सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय से डाक द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ, जो एक नियुक्ति पत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था, जिसमें उसे 22.07.2024 को शामिल होने के लिए कहा गया था। उसी दिन, विक्रम सिंह सेंगर ने अपना व्हाट्सएप संदेश भेजा, जिसमें मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ द्वारा दी गई पी.एच.डी. की डिग्री की एक प्रति दिखाई गई। जब सूचनाकर्ता ने विक्रम सिंह से पी.एच.डी. की डिग्री और ज्वाइनिंग लेटर के बारे में पूछा कि उसने कभी आवेदन नहीं किया था, तो कैसे नियुक्ति पत्र जारी किया गया, और यह भी कि उसने 2024 में पी.एच.डी. कार्यक्रम में सूचनाकर्ता का प्रवेश करवाया था, और उसे इतनी जल्दी पी.एच.डी. की डिग्री कैसे दी जा सकती है, जिसके बाद चारों अपराधियों ने कहा कि वे उसके घर आएंगे और मामलों के बारे में बात करेंगे।

3. 24.06.2024 को, विक्रम सिंह सेंगर, उनकी मां तृप्ति सिंह सेंगर, उनकी दोस्त प्रियंका सिंह सेंगर सूचनाकर्ता के घर आए और उन्हें कुछ कागजात सौंपे, जैसे कि उनकी पी.एच.डी. मार्कशीट, प्रवेश पत्र, नियुक्ति पत्र, विषय अनुमोदन पत्र और मंगलायतन विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की मांग की। इस पर सूचनाकर्ता ने पूछताछ की कि उसे 2024 पी.एच.डी. कार्यक्रम में भर्ती कराया गया था और वह इतनी जल्दी डिग्री कैसे प्राप्त कर सकती है और यह सब जाली है, जिस पर उन सभी ने कहा कि सूचनाकर्ता की पी.एच.डी. पूरी हो गई थी और उसका नियुक्ति पत्र पहले से ही यहां है और उसे केवल 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना है, अन्यथा, उसने अतीत में जो भी पैसा दिया था, वह खो जाएगा और उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इससे सूचनाकर्ता डर गया और उसने आर.टी.जी.एस. के माध्यम से श्रीमती तृप्ति सिंह सेंगर के बैंक खाते में आवश्यक शेष राशि स्थानांतरित कर दी। सूचनाकर्ता कभी भी मंगलायतन विश्वविद्यालय नहीं गई क्योंकि वह डरी हुई थी और 11.07.2024 को वह अपना नियुक्ति पत्र सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर ले गई और अपने ज्वाइनिंग लेटर के साथ रजिस्ट्रार से मिली। रजिस्ट्रार ने उसे सूचित किया कि सभी दस्तावेज फर्जी थे और हस्ताक्षर जाली थे। रजिस्ट्रार ने जॉइनिंग लेटर अपने पास रखा। आरोप यह है कि विक्रम सिंह सेंगर ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर जालसाजी आदि का अभ्यास करके सूचनाकर्ता को 22,18,000/- रुपये की राशि का धोखा दिया है। यह भी कहा जाता है कि सूचनाकर्ता द्वारा इन व्यक्तियों को कानूनी



कार्रवाई की धमकी देने पर, उन्होंने जान से मारने की धमकी देने के साथ-साथ जघन्य अपराधों में झूठे फंसाने की धमकी भी दी।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के प्रस्ताव का विरोध किया है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बताते हैं कि इसी तरह के सह-आरोपी सान्या सिंह सेंगर और उनमें से एक अन्य को इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या-10497 वर्ष 2025 के तहत आवेदन में दिनांक 29.10.2025 के आदेश के तहत मध्यस्थता केंद्र को भेजा गया है। यह भी बताया गया है कि इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने तृप्ति सिंह सेंगर और एक अन्य आरोपी को आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-725 वर्ष 2026 में धन वापसी की शर्त पर राहत दी है। उक्त याचिका लंबित है और एक अंतरिम स्थगन आदेश चल रहा है। हमें दिखाए गए दोनों आदेश अंतरिम आदेश हैं, जो अस्थायी प्रकृति के हैं।

6. दूसरी ओर, हमने प्राथमिकी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। हम पाते हैं कि आरोप आरोप प्रकृति में बहुत गंभीर हैं और समाज में एक बहुत ही भयावह प्रवृत्ति का खुलासा करते हैं, जहां आम आदमी ने यह धारणा विकसित कर ली है कि रिश्वत के भुगतान से कुछ भी किया जा सकता है। यही कारण है कि पहली सूचनाकर्ता, एक शिक्षित महिला को धोखाधड़ी के जाल में फंसा लिया गया था, जिसे याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर 22 लाख रुपये और उससे अधिक की पर्याप्त राशि के साथ भाग लेने के लिए खेला था। पी.एच.डी. प्रविधि में प्रवेश या किसी विश्वविद्यालय में नियुक्ति इन विश्वविद्यालयों के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के बिना नहीं की जा सकती है। पी.एच.डी. पी.एच.डी. कार्यक्रम का पालन करने और इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाता है, जबकि एक विश्वविद्यालय में एक शिक्षण पद पर नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया से गुजरने के बाद दी जाती है, जिसमें पदों का विज्ञापन और उनके लिए आवेदन करना शामिल होता है। फिर भी, भ्रष्ट तरीकों की प्रभावकारिता में आम आदमी के विश्वास ने याचिकाकर्ता द्वारा पहले सूचनाकर्ता को धोखा दिया है। यह समाज में नैतिक ताने-बाने की बहुत कम स्थिति को दर्शाता है और इस तरह के अपराध, समाज



में कुछ नैतिकता को फिर से हासिल करने और बहाल करने के लिए, दंडित नहीं होना चाहिए।

7. हम यह नहीं कहते कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप सच हैं, क्योंकि संभवतः हम इन कार्यवाहियों में ऐसा नहीं कह सकते। साथ ही, आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, हम अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट हैं कि पुलिस द्वारा इनकी पूरी तरह से और ईमानदारी से जांच करने की आवश्यकता है।

8. परिस्थितियों की समग्रता में, हम इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानते हैं।

9. तदनुसार, यह याचिका **खारिज** की जाती है।

10. इस आदेश की सूचना रजिस्ट्रार (अनुपालन) द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के माध्यम से पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर और थाना-प्रभारी थाना-स्वरूप नगर, जिला कानपुर नगर को दी जाए।

मार्च 31, 2026

अनूप/दीपक

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)